HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **चिकासी** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-55/2018 धारा-302 भा0द0सं0 में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **जिला एंव सत्र न्यायाधीश-प्रथम** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **बृषभान पुत्र कामता केवट** निवासी ग्राम गढहर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये **सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/-** रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	अभियोजक- एडीजीसी क्रि0 सुभाष कुमार श्रीवास्तव		विवेचक- निरी0 अनूप कुमार दूबे		**पैरोकार- थाना- चिकासी का0 रामप्रकाश**